भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2446
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

2446. श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:
श्री मितेश पटेल (बकाभाई):
श्री यदुवीर वाडियार:
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
सुश्री कंगना रनौत :
श्री मनीष जायसवाल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नए चरण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत गुवाहाटी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र , झारखंड, हिमाचल प्रदेश के मंडी और कर्नाटक में लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या यह योजना अभीष्ट लाभार्थियों की पहचान करने में अपने वांछित उद्देश्य को पूरा कर रही है , यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना के लिए पात्र शेष गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएमएवाई-जी के नए चरण के तहत स्वीकृत आवासों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

मंत्रालय द्वारा आवंटित कुल लक्ष्य	राज्यों द्वारा स्वीकृत आवास
37,80,374	27,32,543

आवास सॉफ्ट रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.12.2024 की स्थिति के अनुसार

वर्ष 2016 से गुवाहाटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लक्षित , स्वीकृत और निर्मित आवासों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिले का नाम	लक्ष्य	राज्यों द्वारा स्वीकृत आवास	निर्मित आवास
गोलपाड़ा	85,018	84,620	79,023
कामरूप	1,03,120	1,02,452	96,088
कामरूप महानगर	12,978	12,766	10,507

नलबाड़ी	50,861	50,817	47,432

आवास सॉफ्ट रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.12.2024 की स्थिति के अनुसार

वर्ष 2016 से झारखंड और कर्नाटक में लक्षित, स्वीकृत और निर्मित आवासों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	**मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य**	**राज्य द्वारा स्वीकृत लक्ष्य**	**निर्मित आवास**
झारखंड	17,05,355	16,44,118	15,62,797
कर्नाटक	4,67,584	3,13,980	1,41,676

आवास सॉफ्ट रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.12.2024 की स्थिति के अनुसार

वर्ष 2016 से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लक्षित, स्वीकृत और निर्मित आवासों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिले का नाम	**राज्य द्वारा जिले को आवंटित लक्ष्य**	**राज्य द्वारा स्वीकृत आवास**	**निर्मित आवास**
मंडी	19,719	15,560	2,211

आवास सॉफ्ट रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.12.2024 की स्थिति के अनुसार

(ख): जी, हाँ। यह, पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों में दिए गए आवास वंचन मापदंडों का उपयोग करके की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता उन लोगों को प्राप्त हो रही है जो वास्तव में वंचित हैं और उनका चयन वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य है। एसईसीसी आँकड़े परिवारों में आवास संबंधी विशिष्ट अभाव को दर्शाते है। आंकड़ों का उपयोग करके बेघर और कच्ची दीवार तथा कच्ची छत वाले 0, 1 और 2 कमरे वाले आवासों में रहने वाले परिवारों को चिन्हित किया गया है और उन्हें लक्षित किया गया है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों का अंतिम चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) -2011 के तहत निर्धारित आवास वंचन मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों तथा संबंधित ग्राम सभा द्वारा सत्यापन और अपील प्रक्रिया के पूरा होने पर आधारित है। एसईसीसी आधारित सूची के माध्यम से उपलब्ध पात्र लाभार्थियों की संख्या वर्तमान में 2.04 करोड़ (लगभग) है। सरकार ने जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास+ सर्वेक्षण कराया ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके जिन्होंने दावा किया था कि वे एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण के तहत छूट गए हैं और इस प्रकार संभावित लाभार्थियों की एक अतिरिक्त सूची तैयार की गई। लगभग 91 लाख (2.95 करोड़ - 2.04 करोड़) के अंतर को भरने के लिए आवास+ डेटा का उपयोग किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा इकाई लागत के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के आकार में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए , पीएमएवाई-जी के संशोधित बहिष्करण मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान के लिए एक राष्ट्रव्यापी आवास+ 2024 सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

****